संख्या-700/2026/आई/1426815/23-1-26/006-23-1002(002)/304/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 10 अगस्त, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 21 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित **तालिका-1** में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत 21 चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 3,83,23,000/- (रूपये तीन करोड़ तिरासी लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या	दिनांक
1	24099/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2026-27	30-07-2026
2	24110/CE-HQ1/RSN3054/BAN/2026-27	30-07-2026
3	24122/CE-HQ1/RSN3054/MRT/2026-27	03-08-2026
4	24128/CE-HQ1/RSN3054/JHA/2026-27	03-08-2026
5	24135/CE-HQ1/RSN3054/KNP/2026-27	03-08-2026
6	24143/CE-HQ1/RSN3054/MRT/2026-27	04-08-2026
7	24146/CE-HQ1/RSN3054/BAS/2026-27	04-08-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख.-1 खीरी	लखीमपुर-शारदानगर-ढखेरवा मार्ग (एम0डी0आर0-75सी) के कि0मी0-8 से रैनी होते हुये मथुरापुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कि0मी संख्या 1,2,3,4(400)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	49.09 49.09 30.97 5.16 43.93	40.91	0.00	3.02	3.02
2	नि.ख.-1 हरदोई	ककेड़ी से दतेला मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	596 /2025/आई/ 115 2409/23-1-25/002-23-1002(002)/286/2025-दिनांक-24-11-2025	79.97 79.47 50.85 0.00 79.47	42.99	0.00	36.48	36.06
3	प्रा.ख. उन्नाव	जनपद उन्नाव में विक्रमपुर ऊँचगांव मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 एवं 18 की विशेष मरम्मत	596 /2025/आई/ 115 2409/23-1-25/002-23-1002(002)/286/2025-दिनांक-24-11-2025	466.37 462.28 338.06 21.39 440.89	418.83	0.00	22.06	17.97
4	प्रा.ख. उन्नाव	मा0 कांशीराम आवासीय योजना हेतु पहुंच मार्ग कि0मी संख्या 1,2,3,4(750)	170 /2026/आई /1268299/23-1-26/001-23-1002(002)/40/2026-दिनांक-16-03-2026	128.33 128.33 100.35 0.15 128.18	121.77	0.00	6.41	6.41
5	नि.ख.-1 रायबरेली	तेलियासनी से अमरहा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 में क्षतिग्रस्त पुलिया का विशेष मरम्मत का कार्य।	97/2025/आई/880682/23-1-25/003-23-1002(002) /161/2024-दिनांक-14-02-2025	41.52 41.52 22.70 7.56 33.96	32.26	0.00	1.70	1.70
6	प्रा.ख. चित्रकूट	डिलौरा से अहिरनपुरवा मार्ग के किमी0-1 में स्थित मिसिरा नाले पर 1 गुणा 4.00 मीटर	576 /2025/आई/ 114 2948/23-1-25/001-23-1002(002)/294/	56.50 56.50 32.02 6.20 50.30	32.28	0.00	18.02	12.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		स्पान के बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	2025-दिनांक-14-11-2025					
7	नि.ख. मेरठ	सोफीपुर लावड़ महलका (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 05 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर पुलिया निर्माण का कार्य।	597 /2025/आई/ 115 2436/23-1-25/002-23-1002(002)/297/ 2025-दिनांक-24-11-2025	69.78 69.78 57.42 0.43 69.35	66.18	0.00	3.17	3.17
8	नि.ख. मेरठ	उखलीना से ढ़ढरा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	670 /2025 /आई /1169687/23-1-25/003-23-1002(002)/297 /2025-दिनांक-10-12-2025	53.68 53.68 33.05 1.40 52.28	50.47	0.00	1.81	1.81
9	नि.ख. मेरठ	मेरठ सरधना का अवशेष भाग;अन्य जिला मार्गद्ध का विशेष मरम्मत का कार्य।	21 /2026/आई /1199808/23-1-26/004-23-1002(002)/297/ 2025-दिनांक-08-01-2026	122.86 122.86 70.67 5.60 117.26	116.37	0.00	0.89	0.89
10	नि.ख. मेरठ	जेवरी से बटजेवरा मार्ग पर 2x2 बाॅक्स कल्वर्ट एवं मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	21 /2026/आई /1199808/23-1-26/004-23-1002(002)/297/ 2025-दिनांक-08-01-2026	47.61 47.61 29.62 1.95 45.66	44.78	0.00	0.88	0.88
11	प्रा.ख. मेरठ	झब्बापुरी से कुण्डा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	567 /2025/आई/ 114 1554/23-1-25/001-23-1002(002)/297/ 2025-दिनांक-13-11-2025	40.54 40.54 23.87 3.02 37.52	35.02	0.00	2.50	2.50
12	प्रा.ख. मेरठ	हापुड-किठौर मार्ग से बबनपुरा खासपुर खरखौदा उलधन होते हुए भोजपुर तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	287/2026/आई/1 285692/23-1-26/001-23-1002(002)/217/ 2026-दिनांक-31-03-2026	50.31 50.31 27.96 1.42 48.89	0.22	0.00	48.67	30.00
13	नि.ख.-2 गाजियाबाद	दुहाई से भिक्कनपुर भदौली मनौली रेवड़ी	567 /2025/आई/ 114 1554/23-1-	77.32 77.32 65.25 0.32	67.06	0.00	9.94	9.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		रेवड़ा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	25/001-23-1002(002)/297/2025-दिनांक-13-11-2025	77.00				
14	प्रा.ख. ललितपुर	एन0एच0-26 (सरखड़ी) से महरौनी-नाराहट रोड़ तक वाया झरावटा सम्पर्क मार्ग के किमी0 4 से 7 में विशेष मरम्मत का कार्य।	615 /2025/आई/ 115 726/23-1-25/002-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-27-11-2025	81.41 81.41 50.09 1.00 80.41	76.86	0.00	3.55	3.55
15	प्रा.ख. ललितपुर	कुम्हैड़ी से गौना सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	615 /2025/आई/ 115 726/23-1-25/002-23-1002(002)/292/2025-दिनांक-27-11-2025	192.76 192.76 116.42 2.00 190.76	136.29	0.00	54.47	54.47
16	नि.ख.-1 कानपुर देहात	मुगल मार्ग से चपरेहटा मार्ग के किमी0 1 से 4(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	558 /2025/आई/ 113 9330/23-1-25/001-23-1002(002)/295/2025-दिनांक-11-11-2025	75.97 74.97 62.41 0.02 74.95	71.20	0.00	3.75	2.75
17	नि.ख.-1 कानपुर देहात	शाहजहांपुर सट्टी कथरी मार्ग किमी0 6 से दरी (राजस्व ग्राम कथरी) मार्ग (ग्रा0मा0) के किमी0 1 से 2(300) में विशेष मरम्मत का कार्य।	558 /2025/आई/ 113 9330/23-1-25/001-23-1002(002)/295/2025-दिनांक-11-11-2025	77.83 77.83 64.13 0.50 77.33	73.46	0.00	3.87	3.87
18	नि.ख.-1 कानपुर देहात	चपरघटा सिहारी कुम्भापुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 1(250), 3(100) व 4(250) में विशेष मरम्मत का कार्य।	618 /2025/आई/ 115 7955/23-1-25/001-23-1002(002)/332/2025-दिनांक-28-11-2025	52.37 52.37 43.24 0.05 52.32	49.70	0.00	2.62	2.62

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	स्वीकृति लागत में पांच वर्षीय अनुरक्षण की लागत	बचत एवं अनुरक्षण घटाकर अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	नि.ख.-2 गाजियाबाद	ज्ञानी बार्डर से मोहननगर मार्ग (रा0मा0-24 का शहरी भाग) पर विशेष मरम्मत का कार्य।	21 /2026/आई /1199808/23-1-26/004-23-1002(002)/297/ 2025-दिनांक-08-01-2026	1191.30 1191.30 973.73 42.30 1149.00	551.95	0.00	597.05	180.00
20	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	मिल्क माजरा सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य (अति क्षतिग्रसत	670 /2025 /आई /1169687/23-1-25/003-23-1002(002)/297 /2025-दिनांक-10-12-2025	101.96 101.96 99.98 1.98 99.98	94.98	0.00	5.00	5.00
21	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	बर्डपुर पिपरहवा से बर्डपुर नं0-7 मार्ग	619 /2025/आई/ 115 7048/23-1-25/002-23-1002(002)/299/ 2025-दिनांक-28-11-2025	55.87 55.87 29.43 14.20 41.67	37.55	0.00	4.12	4.12
							कुल योग-	**383.23**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान आबंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जाएगा ।

(9) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 3,83,23,000/- (रूपये तीन करोड़ तिरासी लाख तेईस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

संख्या-700/2026/आई/1426815(1)/23-1-26/006-23-1002(002)/304/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।